

तहसीलदार
माण्डलगढ़

विषय: पत्थरगढ़ी करने के सम्बन्ध में।

उनवान

1. हरमू पत्नि प्रभु जाति कंजर निवासी कंजर कालौनी कोतवाल काखेड़ा तहसील माण्डलगढ़।
2. इन्द्रा पुत्री प्रभु जाति कंजर निवासी कंजर कालौनी कोतवाल काखेड़ा तहसील माण्डलगढ़।
3. गुडडी पुत्री प्रभु जाति कंजर निवासी कंजर कालौनी कोतवाल काखेड़ा तहसील माण्डलगढ़।

4

बनाम

1. शंकर पिता जवासिया जाति कंजर निवासी कंजर कालौनी कोतवाल काखेड़ा तहसील माण्डलगढ़।
2. नाथू पिता चन्द्रमोहन जाति कंजर निवासी कंजर कालौनी कोतवाल काखेड़ा तहसील माण्डलगढ़।
3. प्रेम देवी पत्नि हीरालाल जाति रेगर निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील माण्डलगढ़।
4. लादूलाल पिता नाथू जाति रेगर निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील माण्डलगढ़।
5. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार माण्डलगढ़।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपर्युक्त विषयान्तर्गत आनुवातिक प्रकरण में आदेश होकर लेख है ग्राम माण्डलगढ़ पटवार हल्का माण्डलगढ़ की सरहद में स्थित खाता संख्या 447 की आराजी संख्या 644 कुल किता 1 रकबा 0.5261 बीघा भूमि की बशामलात् पडौंसियान के मौके पर रिकार्ड एवं कब्जेनुसार पत्थरगढ़ी की जावे। पत्थरगढ़ी हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक को कर्मिशनर नियुक्त किया जाता है। कर्मिशनर फीस 500/- रूपये तय की जाती है, जो वक्त पत्थरगढ़ी प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। पत्थरगढ़ी शुल्क 100/- रूपये राजकोष में जमा हो चुके है। मौके पर पत्थरगढ़ी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढ़ी कब्जे नहीं हटाया जावे तथा सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करे। पत्थरगढ़ी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे।

उत्साह चौधरी (आई.ए.एस.)

उपखण्ड अधिकारी

माण्डलगढ़